शुद्धि पत्र
वित्तीय स्वीकृति/आयोजनेत्तर
संख्याः 104(2)/XVII(2)/2007-09(16)/2007

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग देहरादून:दिनांक 20 जून, 2007

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक में सैनिक कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान संख्या–15 के आयोजनेत्तर पक्ष की वचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशियों की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्याः– 104/XVII(2)/2007–09(16)/2007, दिनांक 04 अप्रैल, 2007 के संलग्नकों में उल्लिखित धनराशियों में निम्नलिखित संशोधन पढ़ा एवं समझा जाये :–

(धनराशि हजार में)

क्रमांक	विवरण	पूर्व में	वर्तमान प्राविधान
1	शासनादेश के प्रस्तर प्रथम की पांचवी पंक्ति	20517 (रुपये दो करोड़ पांच लाख सत्रह हजार मात्र)	20512 (रुपये दो करोड़ पांच लाख बारह हजार मात्र)
2	संलग्नक पृष्ठ प्रथम के क्रमांक 17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	97	92
3	संलग्नक पृष्ठ प्रथम में अंकित योग	6972	6967
4	संलग्नक के अंतिम पृष्ठ का महायोग	20517 (रुपये दो करोड़ पांच लाख सत्रह हजार मात्र)	20512 (रुपये दो करोड़ पांच लाख बारह हजार मात्र)

उक्त शासनादेश दिनांक 14 अप्रैल, 2007 का इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 104(3)/XVII(2)/2007 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
5. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

20060306-PDF